न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री महेन्द्र सोनी**

आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
ओरिन्यटल बैंक ऑफ कामर्स,शाखा भूखण्ड संख्या 43,प्रथमतल,10 वी ई रोड, सरदारपुरा, जोधपुर		**1.श्री शेरसिंह पुत्र श्री खेत सिंह** **2.श्री खेत सिंह पुत्र श्री जयसिंह निवासीगण 116, ठिकाना कलापुरा, वाया दाकरता, जालोर**

विविध प्रकरण संख्या 02/2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

....

अधिवक्ता:-

1-श्री पृथ्वीराजसिंह कुम्पावत अधिवक्ता प्रार्थी

-:आदेश:-

दिनांक:-18.02.2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरूद्ध अप्राथीगण शेरसिह पुत्र खेतसिंह व अन्य के पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 3,00,000/ OD LOAN सुविध उपलब्ध कराई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी श्री खेत सिंह पुत्र श्री जयसिंह का भूखण्ड संख्या 116 (बनाप 298.6 वर्गगज), ठिकाना कालापुरा, वाया दाकरता, जालोर (पटटा नंबर 79 दिनांक 08.07.2014 लीज डीड क्रमांक 2014005218 दिनांक 25.07.2014), जो श्री खेत सिंह पुत्र श्री जयसिंह निवासीगण 116, ठिकाना कलापुरा, वाया दाकरता, जालोर के स्वामित्व का आया हुआ है को प्रार्थी बैंक को रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया हैं। अप्रार्थीगण द्वारा नियममित रूप से प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि में मय व्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत् अन्तर्गत अप्रार्थीगण नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय व्याज दिनांक 31.01.2019 तक 2,13861/रूपये का भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन / हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को संभालने हेतु यह प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना।प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 3,00,000/ OD LOAN की सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 31.01.2019 तक 2,13861/रूपये बसूल किये जाने है अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नही किया गया है। सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पति को बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अत:उपरोक्त तथ्यो के सदर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी श्री खेत सिंह पुत्र श्री जयसिंह का भूखण्ड संख्या 116 (बनाप 298.6 वर्गगज), ठिकाना कालापुरा, वाया दाकरता, जालोर (पटटा नंबर 79 दिनांक 08.07.2014 लीज डीड क्रमांक 2014005218 दिनांक 25.07.2014), जो श्री खेत सिंह पुत्र श्री जयसिंह निवासीगण 116, ठिकाना कलापुरा, वाया दाकरता, जालोर जो बैंक के पक्ष में प्रतिभूति रूप में रखी गई उक्त जायदाद का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त करने का अधिकार होने से संबंधित पुलिस अधीक्षक,जालोर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति संपतियो के संबंध में थानाधिकारी, को निर्देशित करे कि वे उपर्युक्त विधिक कार्यवाही में वांछित सहयोग करे।

आदेश आज दिनांक 18.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया

Sd/-

(महेन्द्र सोनी)

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.12 17:55:23 IST
Reason: SelfAttested